न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 63/2017

बउनवान

धर्मराज गुर्जर पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी खेडलीकेशा
तहसील–बारां, जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री पिकेंश जगरवाल, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

न्यायालय जिला कलक्टर

निर्णय दिनांक– 10.12.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 16.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मानपुरा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गै.मु.खाम पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 300/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं अवलोकन नहीं कर निर्णय फरमाया गया है। पत्रावली पर द्वितीय अतिचार बाबत कोई रेकार्ड नहीं है तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय दिया गया है। अपीलांट को ना तो जवाबदेही का अवसर मिला और ना हीं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर दिया, हल्का पटवारी से जिरह भी नहीं हो सकी। विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में अपीलांट की विधिवत तामील हुई है, केवल हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ हीं कथन किया कि अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 385/2016 निर्णय दिनांक 30.03.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट [illegible] पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का [illegible] किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] कर आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी [illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार [illegible] 385/16 निर्णय दिनांक 30.03.2016 से बेदखल किया जाना [illegible] स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित [illegible] अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट [illegible] पाये जाने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार [illegible] संख्या 670/17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 को [illegible]

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जे.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official